न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 49/2024

अनवान :

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी उतरादाबास तहसील भादरा। :–वादी

बनाम

1. भालसिंह पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।
2. इन्द्रावती पत्नी गोपीराम जाति जाट निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।
3. विनित कुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा। :–प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक : 12.05.25**

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विरेन्द्र जाखड़ व वकील प्रतिवादी श्री धर्मपाल बेरवाल व रीटा चौधरी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में रोही मोजा उतरादाबास के खाता संख्या 39/39के ख0न0 102, 214, 241, 379, 379/4 कुल खसरा 5 की कुल 4.641 है0 बारानी वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार खातेदारी भूमि का अच्छी मंदी के अनुसार खाता विभाजन चाहा है जिसका विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नक्शा तहसीलदार भादरा के पत्रांक भू.अ./25/356 दिनांक 08.05.2025 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मौजा उतरादाबास का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:–

विभाजन : रोही मौजा उतरादाबास

1. **राजेन्द्रसिंह पुत्र पोकरराम कौम जाट सा0 देह खातेदार** :– खसरा संख्या 102 रकबा 1.012 है0, खसरा संख्या 241 रकबा 0.6183 है0 कुल किता 2 रकबा 1.6303 है0।

2. **इन्द्रावती पत्नी गोपीराम, विनीत कुमार पुत्र गोपीराम कौम जाट सा0 देह खातेदार** :–खसरा नं0 102 रकबा 0.227 है0, खसरा संख्या 241 रकबा 0.1657 है0, खसरा संख्या 214 रकबा 0.569 है0, खसरा संख्या 379 रकबा 0.7145 है0 खसरा संख्या 379/4 रकबा 0.0255 है0, कुल किता 5 रकबा 1.7017 है0।

3. **भालसिंह पुत्र पोकरराम कौम जाट सा0 देह खातेदार** :– खसरा संख्या 214 रकबा 0.569 है0, खसरा संख्या 379 रकबा 0.7145 है0, खसरा संख्या 379/4 रकबा 0.0255 है0, कुल किता 3 रकबा 1.309 है0।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन संबंधित काश्तकार के संबंधित हिस्से पर शिफ्ट किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को पर्चा डिक्री का भाग माना जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.05.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.17 14:17:32 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 49/2024

अनवान :
1. राजेन्द्रसिंह पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

1. भालसिंह पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।
2. इन्द्रावती पत्नी गोपीराम जाति जाट निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।
3. विनित कुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री विरेन्द्र जाखड़ **: वादी**

वकील श्री रीटा चौधरी: **प्रतिवादी संख्या 1**

वकील श्री धर्मपाल बेरवाल **: प्रतिवादी सं0 2 तथा 3**

निर्णय

दिनांक : 12.05.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादभूमि रोही मोजा उतरादाबास के खाता संख्या 39/39 के ख0न0 102, 214, 241, 379, 379/4 कुल खसरा 5 की कुल 4.641 है0 बारानी वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादभूमि की किस्म, कास्त, बंटाई एवं रास्ता आदि को लेकर पक्षकारान में विवाद बना रहता है। इसलिए वादी वादभूमि का कब्जा काश्त के अनुसार जोत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की भूमि अलग से टक कायम करवाकर उस पर अपना पृथक से कब्जा प्राप्त कर उसका अपने नाम अलग से खाता कायम करवाने का एवं वादी के विभाजित हिस्सा तक आवगमन के लिए रास्ते का अंकन करवाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं 1 ता 3 जरिये वकील हाजिर आये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इकबालदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वकील वादी व वकील प्रतिवादी ने वादभूमि का खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार करवाने पर अपनी सहमति दर्ज की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही मोजा उतरादाबास के खाता संख्या 39/39 के ख0न0 102, 214, 241, 379, 379/4 कुल खसरा 5 की कुल 4.641 है0 बारानी वादभूमि में वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हिस्सा अनुसार जोत विभाजन करवाने हेतु वाद पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivrah
Date: 2025.06.17 14:17:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस [illegible] मनन [illegible] गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही मोजा उतरादाबास के खाता [illegible] 39/39 [illegible] 102, 214, 241, 379, 379/4 कुल खसरा 5 की कुल 4.641 है0 बारानी [illegible] एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादभूमि में वादी ने अपने नाम रा[illegible] रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार खातेदारी भूमि का अच्छी मंदी के अनुसार खाता विभाजन [illegible] है जिसका विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नक्शा तहसीलदार भादरा के पत्रांक भू.अ./25/356 दिनांक 08.05.2025 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

...उतरादाबास का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर [illegible]
...प्रकार से विभाजित किया जाता है:—

...विभाजन : रोही मौजा उतरादाबास

...राजेन्द्रसिंह पुत्र पोकरराम कौम जाट सा0 देह खातेदार :— खसरा संख्या [illegible]
...खसरा संख्या 241 रकबा 0.6183 है0 कुल किता 2 रकबा [illegible] है0।

...इन्द्रावती पत्नी गोपीराम, विनीत कुमार पुत्र गोपीराम कौम जाट सा0 देह खातेदार :— [illegible]
...102 रकबा 0.227 है0, खसरा संख्या 241 रकबा 0.1657 है0, खसरा संख्या 214 रकबा [illegible]
...है0, खसरा संख्या 379 रकबा 0.7145 है0 खसरा संख्या 379/4 रकबा [illegible] है0, कुल
किता 5 रकबा 1.7017 है0।

...भालसिंह पुत्र पोकरराम कौम जाट सा0 देह खातेदार :— खसरा संख्या 214 रकबा [illegible] है0,
खसरा संख्या 379 रकबा 0.7145 है0, खसरा संख्या 379/4 रकबा 0.0256 है0, कुल किता 3
रकबा 1.309 है0।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन संबंधित काश्तकार के संबंधित हिस्से पर शिफ्ट किया जावे। इसी इनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.05.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.17 14:17:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner